रजिस्ट्री सं० डी-(डी)—73

REGISTERED No. D-(D)—73

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 2] नई दिल्ली, शनिवार, जनवरी 8, 1977 (पौष 18, 1898)

No. 2] NEW DELHI, SATURDAY, JANUARY 8, 1977 (PAUSA 18, 1898)

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation.

विषय-सूची

	पृष्ठ
भाग I—खंड 1—(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई विधितर नियमों, विनियमों तथा आदेशों और संकल्पों से सम्बन्धित अधिसूचनाएं	15
भाग I—खंड 2—(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई सरकारी अफसरों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों, छुट्टियों आदि से सम्बन्धित अधिसूचनाएं	25
भाग I—खंड 3—रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी की गई विधितर नियमों, विनियमों, आदेशों और संकल्पों से सम्बन्धित अधिसूचनाएं	1
भाग I—खंड 4—रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी की गई अफसरों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों, छुट्टियों आदि से सम्बन्धित अधिसूचनाएं	19
भाग II—खंड 1—अधिनियम, अध्यादेश और विनियम	—
भाग II—खंड 2—विधेयक और विधेयकों संबंधी प्रवर समितियों की रिपोर्ट	—
भाग II—खंड 3—उपखंड (i)—(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और (संघ-राज्य क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) केन्द्रीय प्राधिकारियों द्वारा जारी किए गए विधि के अन्तर्गत बनाए और जारी किए गए साधारण नियम (जिनमें साधारण प्रकार के आदेश, उप-नियम आदि सम्मिलित हैं)	79
भाग II—खंड 3—उपखंड (ii)—(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और (संघ-राज्य क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) केन्द्रीय प्राधिकारियों द्वारा विधि के अन्तर्गत बनाए और जारी किए गए आदेश और अधिसूचनाएं	85
भाग II—खंड 4—रक्षा मंत्रालय द्वारा अधिसूचित विधिक नियम और आदेश	9
भाग III—खंड 1—महालेखापरीक्षक, संघ लोक-सेवा आयोग, रेल प्रशासन, उच्च न्यायालयों और भारत सरकार के अधीन तथा संलग्न कार्यालयों द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं	153
भाग III—खंड 2—एकस्व कार्यालय, कलकत्ता द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं और नोटिस	29
भाग III—खंड 3—मुख्य आयुक्तों द्वारा या उनके प्राधिकार से जारी की गई अधिसूचनाएं	3
भाग III—खंड 4—विधिक निकायों द्वारा जारी की गई विधिक अधिसूचनाएं जिनमें अधिसूचनाएं, आदेश, विज्ञापन और नोटिस शामिल हैं	503
भाग IV—गैर सरकारी व्यक्तियों और गैर-सरकारी संस्थाओं के विज्ञापन तथा नोटिस	3

CONTENTS

	PAGE
PART I—SECTION 1.—Notifications relating to Non-Statutory Rules, Regulations, Orders and Resolutions issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court	15
PART I—SECTION 2.—Notifications regarding Appointments, Promotions, Leave etc. of Government Officers issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court	25
PART I—SECTION 3.—Notifications relating to Non-Statutory Rules, Regulations, Orders and Resolutions issued by the Ministry of Defence	1
PART I—SECTION 4.—Notifications regarding Appointments, Promotions, Leave etc. of Officers issued by the Ministry of Defence	19
PART II—SECTION 1.—Acts, Ordinances and Regulations	—
PART II—SECTION 2.—Bills and Reports of Select Committees on Bills	—
PART II—SECTION 3.—SUB. SEC. (i).—General Statutory Rules (including orders, bye-laws etc. of general character) issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by Central Authorities (other than the Administrations of Union Territories) ..	79
PART II—SECTION 3.—SUB. SEC. (ii).—Statutory Orders and Notifications issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Central Authorities (other than the Administrations of Union Territories) ..	85
PART II—SECTION 4.—Statutory Rules and Orders notified by the Ministry of Defence ..	9
PART III—SECTION 1.—Notifications issued by the Auditor General, Union Public Service Commission, Railway Administration, High Courts and the Attached and Subordinate Offices of the Government of India ..	153
PART III—SECTION 2.—Notifications and Notices issued by the Patent Office, Calcutta ..	29
PART III—SECTION 3.—Notifications issued by or under the authority of Chief Commissioners	3
PART III—SECTION 4.—Miscellaneous Notifications including Notifications, Orders, Advertisements and Notices issued by Statutory Bodies	503
PART IV—Advertisements and Notices by Private Individuals and Private Bodies	3

भाग I—खण्ड 1

PART I—SECTION 1

(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई विधितर नियमों, विनियमों तथा आदेशों और संकल्पों से सम्बन्धित अधिसूचनाएं

[Notifications relating to Non-Statutory Rules, Regulations, Orders and Resolutions issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court]

राष्ट्रपति सचिवालय

नई दिल्ली, दिनांक 27 दिसम्बर, 1976

स० 107-प्रेज/76—राष्ट्रपति प्रादेशिक सेना के निम्नांकित आयुक्त अधिकारियों को सराहनीय सेवा के लिए "प्रादेशिक सेना अलंकरण" सहर्ष प्रदान करते है —

लैफ्टिनेंट कर्नल एस० के० गणडोत्रा (टी० ए०-40079), इंजीनियर्स
लैफ्टिनेंट कर्नल टी० एन० रामाचन्द्रन (टी० ए०-40100), इंजीनियर्स
लैफ्टिनेंट कर्नल एस० एफ० एक्स० फ्रेटास (टी० ए०-40211), इंजीनियर्स
लैफ्टिनेंट कर्नल पी० डब्ल्यू० इम्पैट (टी० ए०-10253), इंजीनियर्स
लैफ्टिनेंट कर्नल एच० सी० एम० जगासी (टी० ए० 40646), इंजीनियर्स
मेजर बी० डी० देसुना (टी० ए०-40438), इंजीनियर्स
लैफ्टिनेंट कर्नल एम० आर० मेहता (टी० ए०-40550), इंजीनियर्स
मेजर अनूप सिंह (टी० ए०-40553), इंजीनियर्स
मेजर एम० एस० राणा (टी० ए०-40633), इंजीनियर्स
लैफ्टिनेंट कर्नल ओ० पी० कपूर (टी० ए०-40154), आर्टिलरी
मेजर आर० एस० शर्मा (टी० ए०-40913), आर्टिलरी
कैप्टन ज्ञान सिंह (टी० ए०-11060), आर्टिलरी
कैप्टन जी० एस० पाठक (टी० ए०-41101), आर्टिलरी
कैप्टन एम० आर० शर्मा (टी० ए०-11102), आर्टिलरी
कैप्टन ए० एस० सिधु (टी० ए०-11134), आर्टिलरी
कैप्टन मोहिन्दर सिंह (टी० ए०-41130), आर्टिलरी
मेजर पी० आर० जी० नैयर (टी० ए०-40896), इन्फैन्ट्री
कैप्टन एम० एम० गुलरिया (टी० ए०-41132), इन्फैन्ट्री
कैप्टन मोहिन्दर सिंह (टी० ए०-40911), ई० एम० ई०
मेजर एस० के० डे० (टी० ए०-(एम०)-1017) ए० एम० सी०

स० 108-प्रेज०/76—राष्ट्रपति निम्नांकित व्यक्ति को सर्वोत्तम जीवन रक्षा पदक प्रदान करने का सहर्ष अनुमोदन करते हैं —

श्री पूथम वोट्टिल रावुत्रो पद्मनाभन, (मरणोपरान्त)
पूथम वोट्टिल,
मुनमबम, पी० ओ० पल्लीपार्ट,
कोचीन (केरल)

30 अगस्त, 1975 को एक देशी मत्स्य-नौका, जिसमें 7 व्यक्ति सवार थे, किनारे आते समय कोदुनमल्लूर बार के पास रेत के किनारे से टकरा गई और उलट गई। जब लोग उल्टी हुई नौका से अपने जीवन को बचाने का संघर्ष कर रहे थे तो श्री पूथम वोट्टिल रावुत्रो पद्मनाभन ने 11 और मछुओं को उक्त व्यक्तियों की सहायता के लिए प्रेरित किया और दो नौकाएं लेकर मछुओं के साथ अशान्त समुद्र का सामना करते हुए घटना स्थल की ओर गए। यद्यपि उलटने वाली नौका के सभी व्यक्तियों को अंततः बचा लिया गया पर उन्हें बचाने के प्रयास में श्री पद्मनाभन की नौका डूब गई और उनको अपने जीवन से हाथ धोना पड़ा।

श्री पूथम वोट्टिल रावुत्रो पद्मनाभन ने इस प्रकार अपना जीवन खोकर सात व्यक्तियों की जान बचाकर अदम्य साहस और तत्परता का परिचय दिया।

स० 109-प्रेज/76—राष्ट्रपति निम्नांकित व्यक्तियों को उत्तम जीवन रक्षा पदक प्रदान करने का सहर्ष अनुमोदन करते है —

1 श्री रमाकांत लक्ष्मण चिम्बुलकर,
45/49, डमरवाडी रोड,
भाऊ साहेब सर्वे मार्ग,
बम्बई-9,
महाराष्ट्र।

25 नवम्बर, 1975 को किशोर बिल्डिंग, 507-523, कालबा देवी रोड, बम्बई-2 के ग्राउन्ड फ्लोर पर बिजली के मीटर के बाक्स मे आग लग गई जो शीघ्र ही बिल्डिंग के दक्षिणी हिस्से मे फैल गई। श्री रमाकांत लक्ष्मण चिम्बुलकर, जो किसी काम के लिए पिकेट रोड आए थे, इस सूचना के मिलते ही तत्काल घटना-स्थल की ओर दौड़े और बिल्डिंग मे ऊपर चढ़ गए। उन्होंने तीसरे फ्लोर पर एक फ्लैट से चिल्लाने की आवाजें सुनी और जोर लगा कर दरवाजा खोलने पर उन्होंने एक वृद्ध नेत्रहीन दम्पत्ति को पाया। उन्होंने वृद्ध श्री कुसुमगर को अपने कन्धों पर उठाया और वह बिल्डिंग के पीछे की ओर छज्जे पर कूद गए और उसे बचा लिया। इसी प्रकार उन्होंने श्रीमती कुसुमगर को भी बचाया।

श्री रमाकांत लक्ष्मण चिम्बुलकर ने इस प्रकार अपनी जान को अत्यधिक खतरे मे डाल कर वृद्ध नेत्रहीन दम्पत्ति की जान बचाने मे बड़ी सूझबूझ और साहस का परिचय दिया।

2 श्री कोंडिबा वेंदूबा गायकवाड़,
हटमेंट कालोनी,
गोलीमार मैदान,
घाटकोपर,
बम्बई-86,
महाराष्ट्र।

15 सितम्बर, 1975 को जब कुमार अरविन्द महदेव पिम्पालकर पास के कुएं से पानी भर रहा था, तो अचानक उसका पांव फिसल गया और उसमे गिर गया। एक बालक ने इसे देखा और उसने अपनी मां श्रीमती के० डब्ल्यू० साबे को बताया जो घटनास्थल की ओर दौड़ी और उसने शोर मचाया जिसे सुनकर पास ही रह रहे एक बिलकुल नेत्रहीन व्यक्ति श्री कोंडिबा वेंदूबा गायकवाड़ घटना-स्थल पर पहुंचे और उन्होंने कुएं में छलांग लगा दी। अच्छा तैराक होने के कारण वे लड़के को ढूंढने मे सफल हो गए और उसे बेहोशी की हालत मे कुएं से बाहर निकाल लाए।

श्री कोंडिबा वेंदूबा गायकवाड़ ने इस प्रकार अपनी जान को अत्यधिक खतरे मे डाल कर एक क्षण भी खोए बिना लड़के की जान बचाने मे असाधारण साहस और सूझबूझ का परिचय दिया।

3. श्री विजय भूषण शर्मा,
ग्राम तथा डाकखाना घगवाल,
तहसील हीरानगर,
जिला कठुआ,
जम्मू तथा कश्मीर।

16 जुलाई, 1975 को शाम को श्री विजय भूषण शर्मा ने सुना कि एक सैनिक वाहन बीण नदी में बह गया है। वे सिपाही केवल सिंह के साथ घटनास्थल की ओर बढ़े, 150 मीटर तैर कर वाहन के पास पहुंचे जोकि तकरीबन सारा पानी में डूब चुका था। श्री शर्मा किसी तरह केबिन तक पहुंचे। सिपाही केवल सिंह ने डुबकी लगाई और नायक राधे सिंह को जिसकी सांस बन्द हो चुकी थी बाहर निकाला और उसे श्री शर्मा को सौंप दिया। श्री शर्मा उसे वाहन के पिछले भाग में ले गए और उन्होंने मुंह से मुंह मिलाकर सांस देने के तरीके से उसे प्राथमिक चिकित्सा दी और अन्तत उसे पुन जीवित कर लिया। श्री शर्मा ने, बाहर निकाले गए दो और व्यक्तियों को भी कृत्रिम सांस देने का प्रयत्न किया परन्तु उसमें उन्हें सफलता नहीं मिली।

श्री विजय भूषण शर्मा ने इस प्रकार अपनी जान को भारी खतरे में डाल कर एक जान बचाकर अनुकरणीय साहस का परिचय दिया।

4 श्री शम्भाजी अप्पा कोठीवाले,
द्वारा एम० डी० ओ० परिवहन,
मल-डिवीजन डापदी,
पुणे,
महाराष्ट्र।

23 मार्च, 1974 की रात्रि को जब महाराष्ट्र राज्य परिवहन की एक बस जिसमें 55 यात्री थे, सामने की दिशा से आ रहे एक ट्रक के लिए रास्ता बना रही थी, तो वह घूम कर नीचे की घाटी में गिर गई। जब बस नीचे लुढ़क रही थी तो कुछ यात्री बस से बाहर आ पड़े और बच गए परन्तु अन्य कई रक्तस्राव घावों के कारण बेहोश हो गए। श्री शम्भाजी अप्पा कोठीवाले ने जो एक वाहन चला रहे थे, दुर्घटना की खबर सुनकर, घाटी में बस को ढूंढने की कोशिश की परन्तु अन्धेरे और धूल के कारण असफल रहे। उन्होंने अपने कपड़े उतारे और उनसे "फायर बेनर" बनाया, अपने वाहन के साथ एक लम्बी रस्सी बांधी और नीचे घाटी में उतर गए। उसके पश्चात् उन्होंने अन्य देखने वालों को भी इसी प्रकार नीचे घाटी में उतरने को कहा और उनकी सहायता से अगले दिन दोपहर तक एक के बाद एक यात्रियों को बचाया। घायल व्यक्तियों को उपचार के लिए अस्पताल भेजा गया और वे बच गए।

श्री शम्भाजी अप्पा कोठीवाले ने इस प्रकार बस के यात्रियों को बचाने में अत्यधिक साहस, जनता के प्रति उच्चकोटि की कर्त्तव्य परायणता और सूझबूझ का परिचय दिया।

5. कुमार सजीव भट्टाचार्जी, (मरणोपरान्त)
ग्राम व डाकखाना कालिकापुर देनहाट,
बर्दवान,
पश्चिम बंगाल।

20 अप्रैल, 1975 को प्रात काल जब कुमार सजीव भट्टाचार्जी जिसकी आयु दस वर्ष थी, स्नान करने के पश्चात् गंगा के किनारे खड़ा हुआ था तो उसने सुचित्रा घोष नामक एक बालिका को निस्सहाय पानी में डूबते हुए देखा। वह तत्काल नदी में कूद पड़ा और बड़ी कोशिशों के बाद वह लड़की को धकेलते हुए नदी के किनारे एक सुरक्षित स्थान पर पहुंचाने में सफल हो गया, परन्तु वह स्वयं फिसल कर गहरे पानी में चला गया और एक भंवर में फंस कर डूब गया।

कुमार सजीव भट्टाचार्जी ने इस प्रकार अपनी जान देकर एक बालिका की जान बचाने में अनुकरणीय साहस और तत्परता का परिचय दिया।

सं० 110-प्रेज/76—राष्ट्रपति निम्नांकित व्यक्तियों को जीवन रक्षा पदक प्रदान करने का सहर्ष अनुमोदन करते हैं —

1 बाई जेबरबेन,
पुत्री सरदार जी,
ग्राम फतेहपुर,
तालुका सामी,
जिला मेहसाना,
गुजरात।

12 सितम्बर, 1975 की रात को फतेहपुर गांव में बाढ़ का पानी भर गया, जिसकी वजह से लोगों ने गांव के तालाब के किनारे, स्कूल आदि जैसे ऊंचे स्थानों पर शरण ली, छोटे-बड़े 29 व्यक्ति जब गांव के तालाब के किनारे की ओर जा रहे थे तो वे कीचड़ में फंस गए और सहायता के लिए चिल्लाए। बालिका बाई जेबरबेन बिना किसी भय के बाढ़ के पानी में कूद पड़ी और उसने तैरते हुए उन सबको एक एक करके गांव के तालाब के किनारे सुरक्षित पहुंचा दिया।

बाई जेबरबेन ने अपने जीवन को भारी खतरे में डालते हुए 29 व्यक्तियों के जीवन की रक्षा करके उच्च-कोटि की जन सेवा भावना का परिचय दिया।

2 कुमार जय देविन्द्र कुमार नेगी,
टी० डी० सी०-II का छात्र,
गवर्नमेंट डिग्री कालिज,
रामपुर बुशहर,
जिला शिमला,
हिमाचल प्रदेश

5 नवम्बर, 1975 को एक छात्र महावीर सिंह सतलुज नदी में फिसल गया और सहायता के लिए चिल्लाया। उसकी चिल्लाहट को सुनकर एक दूसरा छात्र जय देविन्द्र कुमार नेगी उसको बचाने के लिए नदी में कूद पड़ा। कुछ सैकिन्ड तलाश करने के बाद, उसने महसूस किया कि डूबते हुए लड़के ने उसे पकड़ लिया है और दोनों नदी के एक गहरे भंवर में फंस गए हैं। वह अकेला नदी के भंवर से बाहर आ गया और तैरता हुआ किनारे पर वापस लौट आया। डूबते लड़के का सिर देखकर जय देविन्द्र कुमार नेगी नदी में फिर कूद पड़ा और बेहोश डूबते लड़के के साथ किनारे की ओर तैरकर उसे बचा लिया।

कुमार जय देविन्द्र कुमार नेगी ने इस प्रकार अपने जीवन को खतरा होते हुए भी एक सहपाठी की जान बचा कर साहस और तत्परता का परिचय दिया।

3 श्री बाबूभाई पहलवान रमजान खां,
तारापुर वाला एक्वेरियम का पम्प कमरा,
एन० एस० रोड,
बम्बई,
महाराष्ट्र।

23 जुलाई, 1976 की सुबह 11 बजे के लगभग श्री मणि ए० अय्यर श्री भास्कर पुरोहित के साथ अपने स्वर्गीय भाई की अस्थियों का विसर्जन करने के लिए कैवल्यधाम के सामने चौपाटी समुद्र में उतर रहे थे कि दोनों एक बड़ी लहर के साथ समुद्र में बह गए। श्री बाबूभाई पहलवान रमजान खां ने, जो पुश्ते की दीवार से मछली पकड़ रहे थे, तुरन्त हाथ की रस्सी फैंकी जिसे श्री अय्यर ने पकड़ लिया। फिर श्री खां ने एक और बड़ी रस्सी ली और स्वयं तूफानी समुद्र में उतर कर उस रस्सी की सहायता से श्री अय्यर को बचा लिया। तत्पश्चात् वह उसी प्रकार श्री पुरोहित को भी बेहोशी की हालत में किनारे पर ले आए, परन्तु दुर्भाग्यवश चिकित्सा मिलने से पहले ही उनकी मृत्यु हो गई।

श्री बाबूभाई पहलवान रमजान खां ने इस प्रकार डूबते हुए आदमियों को बचाने के लिए अपने जीवन को खतरे में डालते हुए तूफानी समुद्र में कूद कर उत्तम साहस का परिचय दिया।

4 कुमार अब्दुल अकबर,
तत्तनतोडी हाउस,
पी० ओ० चेरूतुरूती, नत्तपिल्ले ताल्लुक,
जिला त्रिचूर,
केरल।

3 अप्रैल, 1975 की शाम को लगभग 4 बजे दो बच्चे नदी में नहाते हुए अचानक गहरे पानी में फिसल गए। उन्हें डूबता देखकर उनकी माता श्रीमती फातिमाबी नदी में कूद पड़ी परन्तु बच्चों के उनसे लिपट जाने के कारण उन्हें बचाने के लिए कुछ न कर सकी।

श्रीमती टी० सी० खदीजा जो यह घटना देख रही थी उन्हें बचाने के लिए तत्काल नदी में कूद पड़ी परन्तु चूंकि श्रीमती फातिमाबी और दोनों बच्चों ने उसे पकड़ लिया इसलिए चारों डूबने लगे। कुमार अब्दुल अकबर जो यह घटना देख रहे थे, खतरे की परवाह किए बिना नदी में कूद पड़े और चारों दुर्घटनाग्रस्त व्यक्तियों को उन्होंने एक एक करके बचा लिया।

कुमार अब्दुल अकबर ने इस प्रकार अपनी जान को बहुत भारी खतरे में डालकर उन चारों के जीवन को बचाने में साहस और तत्परता का परिचय दिया।

5 कुमारी करथियानी अम्मा शान्ताकुमारी,
पुत्री श्री रामकरण नायर,
किजक्के मथिकल, रन्नी,
पी० ओ० पैरूनन्दू,
केरल।

26 नवम्बर, 1975 को सुबह लगभग 9-30 बजे श्रीमती ऊषा कुमारी को, जब वह काकड़ नदी में नहाने की तैयारी कर रही थी चक्कर आ गया और बेहोश होकर गहरे पानी में गिर पड़ी और एक तेज लहर के साथ बहकर भंवर में फंस गई। कुमारी करथियानी अम्मा शान्ताकुमारी जो घटना स्थल पर थी फौरन पानी में कूद पड़ी, भंवर तक तैरती हुई गई, श्रीमती ऊषा कुमारी को बालों से पकड़ा और उसे किनारे तक ले आई।

कुमारी करथियानी अम्मा शान्ताकुमारी ने, इस प्रकार अपनी जान को भारी खतरे में डालते हुए एक जीवन को बचा कर साहस और तत्परता का परिचय दिया।

6 श्री रघुनाथ उर्फ रघु हल्ला,
ग्राम खालीगांव,
थाना बेराकर,
जिला छतरपुर,
मध्य प्रदेश।

6 जून, 1975 को दस व्यक्ति, जिसमें श्री रघुनाथ उर्फ रघु हल्ला भी शामिल थे, एक विशेष प्रकार की मिट्टी इकट्ठी करने के लिए ग्राम खैरगांव में गए। उनमें से चार व्यक्ति खान के भीतर से मिट्टी खोदने लगे और बाकी मिट्टी को अपनी बैल गाड़ियों में भरने लगे। इसी बीच खान का बाहर निकला हुआ भाग अचानक ढह गया जिससे वे चारों खान के अन्दर दब गए। यह देखकर शेष छः व्यक्तियों में से चार भाग गए। श्री रघुनाथ तेजी से खान में गए और मलबे को हटाना शुरु कर दिया। इससे पहले कि खान और ढहती, वे दो व्यक्तियों को बचाने में सफल हो गए। परन्तु बाकी दो व्यक्ति ताजी गिरने वाली मिट्टी में गहरे दब गए इसलिए उन्हें बचाया न जा सका।

श्री रघुनाथ ने इस प्रकार अपने जीवन को भारी खतरे में डाल कर अनुकरणीय साहस और सूझबूझ का परिचय दिया और मौत के मुंह से दो व्यक्तियों को बचा लिया।

7 कुमार बबन दादू होवले,
गांव तथा डाकघर भोरे,
तालुका मोरज,
जिला सांगली,
महाराष्ट्र।

23 अप्रैल, 1976 को दोपहर लगभग 12.30 बजे श्री जिशु बस्तवाडे ने अपने भतीजे कुमार महावीर को तैरना सिखाने के लिए उसकी कमर में एक लकड़ी का तख्ता बांधा और उसे पानी में जाने के लिए कहा। तख्ते का भार कुमार महावीर से कम होने के कारण वह डूबने लगा। यह देखकर उसके चाचा ने उसे बचाने की कोशिश की परन्तु कुमार महावीर ने उसे पकड़ लिया। किन्तु श्री बस्तवाडे ने अपने आप को छुड़ा लिया और सहायता के लिए चिल्लाने लगा। परन्तु इस बीच कुमार महावीर डूब गया। चिल्लाहट सुनकर कुमार बबन दादू होवले घटनास्थल पर आया और अपने कपड़ों सहित तालाब में कूद पड़ा तथा कुमार महावीर को अचेत अवस्था में बाहर निकाल लाया। दो तीन घंटों बाद कुमार महावीर को चेतना आई।

कुमार बबन दादू होवले ने इस प्रकार महावीर का जीवन बचाने में महान साहस तथा तत्परता का परिचय दिया।

8 श्री बूटाजी नाबाजी बिबावे,
वाड़ापुरवाडी निमाज गांव के अन्तर्गत,
तालुका संगमनेर, जिला अहमदनगर,
महाराष्ट्र।

9 श्री मारुती राम बिबावे,
वाडापुरवाडी निमाज गांव के अन्तर्गत,
तालुका संगमनेर, जिला अहमदनगर,
महाराष्ट्र।

10 श्री शान्ताराम बापू बिबावे,
वाडापुरवाड़ी निमाज गांव के अन्तर्गत,
तालुका संगमनेर, जिला अहमदनगर,
महाराष्ट्र।

5/6 जून, 1976 की रात्रि में प्रवरा नदी की बाढ़ का पानी वाडापुरवाडी गांव में आ गया जिसमें 250 व्यक्तियों का जीवन खतरे में पड़ गया। लोग सहायता के लिए चिल्लाए परन्तु भीषण बाढ़ के कारण कोई सहायता नहीं मिल सकी। इस प्रकार श्री बूबाजी नाबाजी बिबावे और श्री मारुती राम बिबावे ने अपने शरीर पर तुम्बिया बांधी और बाढ़ के पानी में कूद पड़े और तैरते हुए 605 मीटर की दूरी पार करके चिकाली के लोगों को सूचना दी जिन्होंने यह सूचना 6 जून, 1976 को प्रात तक संगमनेर की पुलिस तक पहुंचा दी। इस बीच श्री शान्ता राम बापू बिबावे ने एक लम्बी रस्सी ली और वह चिकाली से वाडा-पुरवाडी तक तैर कर गए तथा उस रस्सी को बबूल के पेड़ से बांध दिया। इस प्रकार वह बाढ़ग्रस्त नदी के दोनों किनारों को जोड़ने में सफल हो गए। पुलिस तथा राजस्व अधिकारी तत्काल घटनास्थल पर पहुंचे और बाढ़ से घिरे हुए व्यक्तियों को बचाया।

श्री बूबाजी नाबाजी बिबावे, श्री मारुतीराम बिबावे तथा श्री शान्ता राम बापू बिबावे ने इस प्रकार बाढ़ से घिरे हुए 250 व्यक्तियों को बचाने में सहायता करके असाधारण साहस, सूझबूझ और तत्परता का परिचय दिया।

11 कान्स्टेबल सुगन सिंह,
पुत्र श्री अनूप सिंह,
गांव दीपू सर,
डाकघर बेनाथोन, थाना बटनगा,
जिला चूरु,
राजस्थान।

29 दिसम्बर, 1975 को समाजूमी गांव में भीषण आग लग गई। उक्त गांव में तैनात प्लाटून ने तुरन्त आग बुझाना शुरु किया। श्री जमीलू एक व्यक्ति भागता हुआ प्लाटून कान्स्टेबल सुगन सिंह के पास आया और उसे यह बताया कि उसका 8 वर्ष का बच्चा जलती हुई झोपड़ी में फंस गया है। यह सुनकर श्री सुगन सिंह जलती हुई झोपड़ी में गए और बच्चे को सुरक्षित बाहर ले आए यद्यपि स्वयं घायल हो गए।

श्री सुगन सिंह ने इस प्रकार एक बच्चे को बचाने में साहस तथा तत्परता का परिचय दिया।

12 सिपाही केवल सिंह,
16वीं डोगरा रैजिमेंट,
56 ए० पी० ओ०।

16 जुलाई, 1975 की सुबह लगभग साढ़े ग्यारह बजे श्री केवल सिंह ने, जो अपने गांव में वार्षिक अवकाश पर थे, अपने घर की छत से देखा कि जम्मू पठानकोट मार्ग से जाती हुई एक टैंक ले जाने वाली गाड़ी बाढ़ आई हुई बीण नदी में पूरी तरह डूब गई है। वह तुरन्त घटनास्थल पर पहुंचे और तैर कर डूबी हुई गाड़ी के पास गए। उन्होंने गोता लगाकर कैबिन से एक व्यक्ति को बाहर निकाला। उसकी प्राथमिक चिकित्सा का प्रबन्ध किया, जिससे उसका सांस पुनः चलने लग पड़ा। वह फिर गोता लगा कर कैबिन में गए और दो और फंसे व्यक्तियों को निकाल लाए। किन्तु उनके प्राण नहीं बचाए जा सके।

सिपाही केवल सिंह ने इस प्रकार अपने जीवन को गम्भीर खतरे में डालकर साहस तथा तत्परता का परिचय दिया।

कृ० बालचन्द्रन्, राष्ट्रपति के सचिव

उद्योग मंत्रालय

(औद्योगिक विकास विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 27 दिसम्बर 1976

संकल्प

सं० 1-16/70-सीमेंट—औद्योगिक विकास विभाग के संकल्प संख्या 1-16/70-सीमे० दिनांक 22 जुलाई, 1976 के पैरा 2 के अनुसरण में भारत सरकार ने निश्चय किया है कि 1 जनवरी 1977 से सीमेंट कन्ट्रोल आरगनाइजेशन का गठन भारत सरकार के गैर-सहभागी सम्बद्ध कार्यालय के रूप में कर दिया जाना चाहिए।

आदेश

आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की एक-एक प्रतिलिपि सभी सम्बन्धितों को भेज दी जाए और इसे भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया जाए।

दिनेश किशोर सक्सेना, संयुक्त सचिव

निर्माण और आवास मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 29 नवम्बर 1976

संकल्प

विषय : असम की राजधानी के स्थान के चयन के लिए समिति की नियुक्ति।

सं० के०-14011/26/72-यू० डी० II डी०-III(बी)—असम की राजधानी के स्थान के चयन के लिए निर्माण और आवास मंत्रालय के दिनांक 15 मार्च, 1973 के संकल्प संख्या के०-14011/26/72-यू० डी० II द्वारा जो समिति नियुक्त की गई थी उसकी अवधि 15 नवम्बर, 1976 तक और आगे बढ़ा दी गई है।

2. समिति का गठन और विचारणीय विषय वही रहेंगे।

आदेश

आदेश दिया जाता है कि संकल्प की प्रतियां भारत सरकार के सभी मंत्रालय आदि को भेजी जाएं।

यह भी आदेश दिया जाता है कि संकल्प को आम सूचना के लिए भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया जाए।

के० के० सक्सेना
डेस्क अधिकारी

पूर्ति और पुनर्वास मंत्रालय

पूर्ति विभाग

सतर्कता अनुभाग

नई दिल्ली, दिनांक 11 दिसम्बर 1976

नोटिस

सं० 1/24/71-वी०—चूंकि केन्द्रीय सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण और अपील) नियमावली 1965 के नियम 14 के अधीन पूर्ति विभाग के दिनांक 21-9-71 के ज्ञापन सं० 1/24/71-वी० में श्री एम० एम० सिद्दीकी, अ० श्रे० लि०, पूर्ति विभाग, नई दिल्ली के खिलाफ अनुशासनिक कार्यवाही की गई थी।

चूंकि श्री ए० के० अग्रवाल, अवर सचिव, पूर्ति विभाग, नई दिल्ली ने, जिन्हें कथित श्री एम० एम० सिद्दीकी के खिलाफ लगाए गए आरोपों की जांच करने के लिए जांच-अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया था, उन्होंने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है,

चूंकि कथित श्री एम० एम० सिद्दीकी को इस विभाग के दिनांक 20-8-73 के ज्ञापन सं० 1/24/71 वी० के अनुसार कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था जिसमें उन्हें सेवा से हटा दिए जाने का दंड देने का प्रस्ताव किया गया था,

अब जांच की रिपोर्ट पर विचार करने के बाद और मामले के तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए अनुशासनिक प्राधिकारी ने दिनांक 18-9-76 के आदेश सं० 33/25/69-वी०ई०सी० खण्ड 2 द्वारा श्री एम० एम० सिद्दीकी को अनिवार्य रूप से सेवा से निवृत्ति का दंड दिया था। इस विभाग ने कथित आदेश कथित श्री एम० एम० सिद्दीकी के अन्तिम ज्ञात पते पर भेजा था जिसे डाक प्राधिकारियों ने 'लेने से इन्कार कर दिया' यह टिप्पणी लिखकर बिना वितरित किए ही लौटा दिया था।

श्री एम० एम० सिद्दीकी को उन्हें अनिवार्य निवृत्ति का दण्ड दिए जाने के बारे में एतद् द्वारा सूचित किया जाता है।

दिनांक 15 दिसम्बर 1976

सं० सतर्कता/47(22)/71-खंड 3—चूंकि केन्द्रीय सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण और अपील) नियमावली, 1965 के नियम 14 के अधीन पूर्ति तथा निपटान महानिदेशालय के दिनांक 10-11-72 के ज्ञापन सं० सतर्कता/47(22)/71 में श्री भगवान हरिसिंघानी, आशुलिपिक (ग्रेड-3) पूर्ति तथा निपटान महानिदेशालय, नई दिल्ली के खिलाफ अनुशासनिक कार्यवाही की गई थी,

चूंकि श्री एस० के० जोशी, निदेशक (समन्वय), पूर्ति तथा निपटान महानिदेशालय, नई दिल्ली ने जिन्हें कथित श्री हरिसिंघानी के खिलाफ लगाए गए आरोपों की जांच करने के लिए जांच अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया था, उन्होंने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है,

चूंकि कथित श्री हरिसिंघानी को इस विभाग के दिनांक 21-8-76 के ज्ञापन सं० 1/37/72-वी० के अनुसार 'कारण बताओ' नोटिस जारी किया गया था, जिसमें उन्हें 'सेवा से हटा दिए जाने' का दंड देने का प्रस्ताव किया गया था,

अब जांच की रिपोर्ट पर विचार करने के बाद और मामले के तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए अनुशासनिक प्राधिकारी ने दिनांक 15-9-76 के आदेश सं० सतर्कता/47/(22)/71 द्वारा श्री हरिसिंघानी को अनिवार्य रूप से सेवा से निवृत्ति का दंड दिया था। इस विभाग ने कथित आदेश कथित श्री हरिसिंघानी के अन्तिम ज्ञात पते पर भेजा था जिसे डाक प्राधिकारी ने बिना वितरित किए लौटा दिया था।

श्री हरिसिंघानी को उन्हें अनिवार्य निवृत्ति का दंड दिए जाने के बारे में एतद् द्वारा सूचित किया जाता है।

त० वे० अनन्तनारायणन्
उप सचिव

PRESIDENT'S SECRETARIAT

New Delhi, the 27th December 1976

No. 107-Pres/76.—The President is pleased to confer the "Territorial Army Decoration" for meritorious service on the undermentioned Commissioned Officers of the Territorial Army:—

Lt Col SK GANDOTRA (TA-40079), ENGINEERS.
Lt Col TN RAMACHANDRAN (T. 40100), ENGINEERS.
Lt Col LFX FRETTAS (TA 40214), ENGINEERS.
Lt Col PW IMPETT (TA--40253), ENGINEERS.
Lt Col HCS JAGATI (TA-40646), ENGINEERS.
Major BD VESUNA (TA-40438), ENGINEERS.
Lt Col SR MEHTA (TA-40550), ENGINEERS.
Major ANOOP SINGH (TA-40553), ENGINEERS.
Major SS RANA (TA-40633), ENGINEERS.
Lt Col OP KAPUR (TA-40154), ARTILLERY.
Major RS SHARMA (TA-40913), ARTILLERY.
Capt GIAN SINGH (TA-41060), ARTILLERY.
Capt GS PHATHAK (TA-41101), ARTILLERY.
Capt MR SHARMA (TA-41102), ARTILLERY.
Capt AS SIDHU (TA-41134), ARTILLERY
Capt. MOHINDER SINGH (TA-41130), ARTILLERY.
Major PRG NAIR (TA-40896), INFANTRY.
Capt SS GULERIA (TA-41132), INFANTRY.
Capt MOHINDER SINGH (TA-40914), EME.
Major SK DE (TA-(M)-1017), AMC.

No. 108-Pres/76.—The President is pleased to approve the award of SARVOTTAM JEEVAN RAKSHA PADAK to the undermentioned person:—

Shri Pootham Veettil Ravunny Padmanabhan
Pootham Veettil,
Munambam, P. O. Palliport,
Cochin,
(Kerala). *(Posthumous)*

On the 30th August, 1975 a country fishing boat with 7 persons aboard, while returning to the shore, hit the sand bank at kodungallur bar and capsized. While the persons in the capsized boat were struggling for their lives, Shri Pootham Veettil Ravunny Padmanabhan, persuaded 11 fishermen to help and proceeded to the scene in two boats along with them braving the rough sea. Although all the persons of the capsized boat were ultimately rescued, Shri Padmanabhan lost his own life as his boat sank during the rescue operation.

Shri Pootham Veettil Ravunny Padmanabhan thus displayed conspicuous courage and promptitude in saving the lives of seven persons at the cost of his own.

No. 109/Pres/76.—The President is pleased to approve the award of UTTAM JEEVAN RAKSHA PADAK to the undermentioned persons:—

1. Shri Ramakant Laxman Chimbulkar,
45/49, Umarkadi Road,
Bhausaheb Surve Marg,
Bombay-9.
(Maharashtra).

On 25th November, 1975 the electric meter box on the ground floor of Kishore building, 507-523, Kalabadevi Road, Bombay-2, caught fire which soon spread on the southern side of the building. Shri Ramakant Laxman Chimbulkar, who had come to Picket Road for some work, on getting the information immediately rushed to the spot and went up the building. He heard the shouts from a flat on third floor. On forcing open the door by force he found an old blind couple. He carried the old man, Shri Kusumgar, on his shoulders and jumped to the terrace of the rear side of the building and saved him. He rescued Shrimati Kusumgar also in a similar way.

Shri Ramakant Laxman Chimbulkar thus showed great presence of mind and courage in rescuing the old blind couple at great risk to his own life.

2. Shri Kondiba Veduba Gaikwad,
Hutment Colony,
Golibar Maidan,
Ghatkopar,
Bombay-86,
(Maharashtra)

On 15th September, 1975 Kumar Arvind Sahdev Pimpalkar while fetching water from a nearby well, accidentally slipped and fell into it. A minor boy noticed it and informed his mother, Shrimati K. W. Tambe, who rushed to the spot. She raised an alarm hearing which Shri Kondiba Veduba Gaikwad a totally blind person residing nearby, reached the spot and jumped into the well. Being a good swimmer he succeeded in tracing the boy and brought him to the surface in the unconscious state.

Shri Kondiba Veduba Gaikwad thus showed extraordinary courage and presence of mind in saving the life of the boy without any loss of time and at great personal risk.

3. Shri Vijay Bhushan Sharma,
Vill. & P. O. Ghagwal,
Teh. Hiranagar,
District Kathua,
(Jammu & Kashmir).

In the afternoon of 16th July, 1975, Shri Vijay Bhushan Sharma heard that an army vehicle had been washed away in Bein river. He proceeded to the spot along with Sepoy Kewal Singh and swam 150 metres to reach the vehicle, which had been almost completely submerged in water. Shri Sharma managed to reach the cabin. Sepoy Kewal Singh dived and extricated Naik Radhey Singh whose breathing had ceased. He passed him on to Shri Sharma who took him to the tail of the vehicle and gave first-aid, mouth to mouth respiration and was ultimately able to revive him. Shri Sharma also gave artificial respiration to two more extricated bodies but was not successful.

Shri Vijay Bhushan Sharma thus showed exemplary courage and took grave risk to his life in saving at least one life.

4. Shri Sambhaji Appa Kothiwale,
C/o S. D. O., Transport,
Sub-Division Dapadi,
Pune.
(Maharashtra)

On the night of 23rd March, 1974 one Maharashtra State Transport Bus with 55 passengers, while making way for a truck coming from the opposite direction, swerved and fell into the valley below. Some of the passengers had been thrown out of the bus while rolling down and were saved but many others became unconscious with bleeding injuries. Shri Sambhaji Appa Kothiwale, who was driving a vehicle, on hearing the news of the accident, tried to locate the bus in the valley but was not successful owing to darkness and dust. He removed his clothes, made fire banner out of it, tied a long rope to his vehicle and climbed down to the valley. Thereafter he asked other onlookers to climb down in the same way and with their help rescued passengers one after another till the next-day afternoon. The injured persons were sent to hospital for treatment and were saved.

Shri Sambhaji Appa Kothiwale thus showed great courage, a high sense of public duty and presence of mind in rescuing the passengers of the bus.

5. Master Sanjib Bhattacharjee,
Vill. & P.O. Kalikapur Dainhat,
Burdwan,
(West Bengal).

(Posthumous)

In the morning of 20th April, 1975, Master Sanjib Bhattacharjee aged ten years, while standing on the bank of the Ganga, after finishing his bath, saw a minor girl named Suchintra Ghosh drowning in the water helplessly. He at once jumped into the river and with great effort he managed to push the girl to a safe place on the river bank but he himself slipped into deep water and was caught in a whirlpool, and was drowned.

Master Sanjib Bhattacharjee thus showed exemplary courage and promptitude in saving the life of a minor girl at the cost of his own.

No. 110-Pres/76.—The President is pleased to approve the award of JEEVAN RAKSHA PADAK to the under-mentioned persons:—

1. Bai Zebarben,
D/o Sardarji,
Vill. Fatepur,
Taluka Sami,
Distt. Mehsana,
(Gujarat).

In the night of 12th September, 1975 flood water entered Fatepur village, as a result of which people took shelter on high places like banks of the village pond, school etc. 29 persons of all age, while moving to the bank of the village pond, were trapped in to mud and shouted for help. Bai Zebarben, a young girl fearlessly plunged into the flood waters, swam to them and rescued all of them, one by one, by bringing them to the bank of the village pond.

Bai Zebarben thus showed high sense of public service in saving 29 lives at the cost of grave risk to her own.

2. Master Jai Devinder Kumar Negi,
Student of TDC-II,
Government Degree College,
Rampur Bushahr,
District Simla,
(Himachal Pradesh)

On the 5th November,1975 Mahavir Singh, a student, slipped into the Sutlej river and cried for help. Hearing his cries another student named Jai Devinder Kumar Negi jumped into the river to rescue him. After making search for a few seconds, he felt that the drowning boy had caught hold of him and both of them were trapped in a mightywhirl-pool of the river. He managed to come out of the whirlpool alone and swam back to the bank. On noticing the head of the drowning boy, Jai Devinder Kumar Negi again jumped in to the river and swam ashore along with the unconscious drowning boy and rescued him.

Master Jai Devinder Kumar Negi thus demonstrated courage and promptitude in saving the life of a fellow student in the face of danger to his own life.

3. Shri Babubhai Pahelwan Ramzan Khan,
Pump Room of Taraporewalla Acquarium,
N. S. Road,
Bombay,
(Maharashtra).

On the 23rd July, 1976 at about 11 A. M. Shri Mani A. Iyer accompanied by Shri Bhaskar Purohit descended the steps at Chowpatty sea opposite Kaivalyadham for immersing the 'Ashti' of his late brother, but they were both washed away by a big wave. Shri Babubhai Pahelwan Ramzan Khan, who was fishing from the Parapet wall, immediately threw the coir rope he was holding and Shri Iyer caught it Thereafter Shri Khan procured a big rope and getting down into the rough sea rescued Shri Iyer with the help of that rope. Subsequently he similarly brought Shri Purohit to the shore in an unconscious state, but unfortunately he died before medical aid could be given.

Shri Babubhai Pahelwan Ramzan Khan thus displayed great courage and risked his life by jumping into the rough sea to save the drowning persons.

4. Master Abdul Akbar,
Thattanthodi House,
P. O. Cheruthuruthy,
Talappilly Taluk,
District Trichur,
(Kerala).

On the 3rd April, 1975 at about 4 P. M. two children accidently slipped into deep water while taking bath in the Bharathapuzha river. Their mother, Shrimati Fathimabi, seeing them drowning jumped into the river but as the children clasped round her she could do little to save them. Shrimati T. C. Khadeeja, an onlooker, immediately jumped into the river to rescue them but as Smt. Fathimabi and the two childen caught hold of her, all the four began to drown. Master Abdul Akbar, who was seeing the incident, in utter disregard of the danger leaped into the river and rescued all the four victims one by one.

Master Abdul Akbar thus displayed courage and promptitude in rescuing four lives at great personal risk.

5. Kumari Karthiyani Amma Santhakumari,
D/o Shri Baskaran Nair,
Kizhakke Srambickal,
Ranni, Perunandu P.O.,
(Kerala).

On the 26th November, 1975 at about 9.30 A. M. Shrimati Usha Kumari while preparing to take bath in the Kakkadu river felt giddiness and fell unconscious into the deep water and on being drifted by strong current was caught in a whirlpool. Kumari Karthiyani Amma Santhakumari, who happened to come to the place of the incident, immediately jumped into the water, swam to the whirlpool, caught hold of Smt. Usha Kumari by her hair and brought her to the shore.

Kumari Karthiyani Amma Santhakumari, thus displayed courage and promptitude in rescuing a life at great personal risk.

6. Shri Raghunath @ Raghu Halba,
Vill. Bahigaon,
P. O. Keskal,
District Bastar,
(Madhya Pradesh).

On the 6th June, 1975, 10 persons including Shri Raghunath @ Raghu Halba went to village Khargaon to collect a particular type of clay. Four out of the ten persons were excavating earth from inside the mine while others were loading it in their bullock carts. During this process the projected portion of the mine suddenly collapsed entrapping all the four persons inside the mine. On seeing the incident four out of the remaining six persons ran away. Shri Raghunath entered the mine hurriedly and started removing the debris. He succeeded in rescuing two persons before the mine further collapsed. The other two persons were, however, burried deep under fresh falling earth and could not be saved.

Shri Raghunath thus displayed exemplary courage and initiative on the face of grave danger to his own life and saved two lives from death.

7. Kumar Baban Dadu Hovale,
At & Post Bhose,
Taluk Miraj,
District Sangli,
(Maharashtra).

On the 23rd April, 1976 at about 12.30 P.M. Shri Jinnu Bastavade tied a wooden log to the waist of his nephew named Kumar Mahavir in order to teach him swimming and asked him to get into the water. The weight of the log being less than Kumar Mahavir, he started drowning, seeing which his uncle tried to save him but Kumar Mahavir embraced him. However, Shri Bastavade freed himself and started crying for help but in the meantime Kumar Mahavir was drowned. Hearing the cries Kumar Baban Dadu Hovale came to the spot, jumped into the tank with his clothes on and brought out Master Mahavir in an unconscious condition. Master Mahavir regained consciousness after 2-3 hours.

Kumar Baban Dadu Hovale thus displayed great courage and promptitude in saving the life of Master Mahavir.

8. Shri Buvaji Nabaji Bibave,
Wadapurwadi under village Nimaj,
Taluka Sangamner,
District Ahmednagar,
(Maharashtra).

9. Shri Maruti Rama Bibave,
Wadapurwadi under village Nimaj,
Taluka Sangamner,
District Ahmednagar,
(Maharashtra).

10. Shri Shantaram Bapu Bibave,
Wadapurwadi under village Nimaj,
District Ahmednagar,
Taluka Sangamner,
(Maharashtra).

On the night of 5th/6th June 1976, the flood waters of the river Pravara surrounded the hamlet of wadapurwadi endangering the lives of 250 persons. The people screamed for help but could not get any owing to the roaring flood. Shri Buvaji Nabaji Bibave and Shri Maruti Rama Bibave tied dry pumpkins to their bodies, jumped into the flood water, crossed the distance of about 605 metres by swimming and informed the people of Chikhali, who in turn passed on the information to Sangamner Police in the early morning on the 6th June, 1976. In the meantime Shri Shantaram Bapu Bibave took a long rope, swam from Chikali to Wadapurwadi and managed to tie down the rope to a babul tree connecting both sides of flooded river. The Police and Revenue Officers rushed to the spot and rescued the stranded persons.

Shri Buvaji Nabaji Bibave, Shri Maruti Ram Bibave and Shri Shantaram Bapu Bibave thus displayed extraordinary courage, presence of mind and promptitude in helying to rescue 250 stranded persons.

11. Constable Sugan Singh,
S/o Shri Anoop Singh,
Vill Deipusar,
P O Babradin,
P. S Battangaah,
District Churu,
(Rajasthan).

On the 29th December, 1975 a devastating fire broke out in Sagazumi village. The platoon posted in the village immediately started extinguishing the fire. One Shri Zachilhu came running to Shri Sugan Singh, Constable of the platoon, and informed him that his 8 year young child had been trapped in the burning hut. On hearing this Shri Sugan Singh entered the burning hut and brought out the child without a bruise, although he himself was injured.

Shri Sugan Singh thus displayed courage and promptitude in rescuing a child.

12 Sepoy Kewal Singh,
16 Dogra,
C/o 56 APO.

On the 16th July, 1975 at about 11 30 A. M Shri Kewal Singh, who was on annual leave in his village, saw from the roof of his house that a tank transporter going across the flooded Bein river on Jammu-Pathankot Road, was completely submerged in the water. He immediately rushed to the spot, swam to the submerged vehicle, dived into the cabin and extricated a person, arranged his first aid and restored his respiration. He again dived into the cabin and extricated two more persons but they could not be brought back to life.

Sepoy Kewal Singh thus displayed courage and promptitude under grave risk to his own life.

K BALACHANDRAN,
Secretary to the President

MINISTRY OF INDUSTRY
DEPARTMENT OF INDUSTRIAL DEVELOPMENT

New Delhi, the 27th December, 1976

RESOLUTION

No 1-16/70-Cem.—In pursuance of para 2 of the Department of Industrial Development Resolution No 1-16/70-Cem. dated the 22nd July, 1976, the Government of India have decided that the Cement Control Organisation should be constituted into a non-participating attached office of the Government of India with effect from 1st January 1977.

ORDER

ORDERED that a copy of the Resolution be communicated to all concerned and that it be published in the Gazette of India.

D K. SAXENA, Jt Secy

MINISTRY OF WORKS AND HOUSING
(URBAN DEVELOPMENT)
(DESK III B)
New Delhi, the 29th November 1976

RESOLUTION

SUBJECT.—Appointment of a Committee for Selection of Site for the Capital of Assam

No K-14011/26/72-UDII(D-IIIB).—The term of the Committee for the Selection on of Site for the Capital of Assam, appointed under the Ministry of Works and Housing Resolution No K-14011/26/72-UDII, dated the 15th March 1973 is further extended upto 15th November 1976.

2 The composition and terms of the reference of the Committee remain unchanged

ORDER

ORDERED that a copy of the Resolution be communicated to all Ministries of the Government of India etc.

ORDERED also that the Resolution be published in the of India for general information.

K. K. SAXENA,
Desk Officer

MINISTRY OF SUPPLY AND REHABILITATION
(DEPARTMENT OF SUPPLY)
(VIGILANCE SECTION)
New Delhi, the 14th December 1976
NOTICES

No 1/24/71-V.—Whereas disciplinary proceedings under Rule 14 of the C C S (C C & A) Rules, 1965 were instituted against Shri M M Siddiqi L D C in the Deptt of Supply New Delhi vide Deptt. of Supply Memorandum No. 1/24/71-V dated 21-9-71

Whereas Shri A K Aggarwal, Under Secy Deptt. of Supply, New Delhi appointed as Inquiry officer to inquire into the charges framed against the said Shri Siddiqi submitted the report;

Whereas a "show cause" notice was issued to the said Shri Siddiqi vide this Deptt memorandum No. 1/24/71-V dated 20-8-73 proposing imposition of the penalty of removal from service;

After taking into consideration the record of the inquiry and having regard to the facts and circumstances of the case the Disciplinary Authority has imposed on Shri Siddiqi the penalty of compulsory retirement from service vide order No 33/25/69-BFC-Vol II dated 18-9-76. The said order sent by the Deptt in the last known address of Shri Siddiqi was returned undelivered with the remarks "refused to accept" by the postal authorities

Shri M M Siddiqi is hereby notified about the imposition on him of penalty of compulsory retirement

The 15th December 1976

No. VIG/47(22)/71-Vol III.—Whereas disciplinary proceedings under Rule 14 of the C C S-(CC & A) Rules, 1965 were instituted against Shri Bhagwan Harisinghani, Steno (Gr III) In DGS&D, New Delhi vide DGS&D memorandum No VIG/47(22)/71 dated 10-11-72,

Whereas Shri S K Joshi, Dy Director (CDN), DGS&D, New Delhi appointed as Inquiry officer to inquire into the charges framed against the said Shri Harisinghani submitted the report,

Whereas a "Show Cause" notice was issued to the said Shri Harisinghani vide this Department memorandum No 1/37/72-V dated 21-8-76 proposing imposition of the penalty of removal from service.

After taking into consideration the record of the inquiry and having regard to the facts and circumstances of the case the disciplinary authority has imposed on Shri Harisinghani the penalty of compulsory retirement from service vide order No Vig/47(22)/71 Vol III dated 15-9-76. The said order sent by the Deptt in the last known address of the said Shri Harisinghani was returned undelivered by the postal authorities.

Shri Bhagwan Harisinghani is hereby notified about the imposition on him of the penalty of compulsory retirement

T. V. ANANTANARAYNAN, Dy. Secy

PRINTED BY THE MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, FARIDABAD
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1977